रजिस्ट्री सं० डी. 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section I
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103] नई दिल्ली, रविवार, अगस्त 15, 1965/श्रावण 24, 1887
No. 103] NEW DELHI, SUNDAY, AUGUST 15, 1965/SRAVANA 24, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 15th August 1965

No. 31/5/65-Ad.III-B.—The President is pleased, on the occasion of Independence Day, 1965, to award an Appreciation Certificate to the undermentioned officer of the Collectorate of Central Excise, Madras, for exceptionally meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of his life:—

Name of the officer and rank:

Shri W. Joseph Anthony De Cruz, Inspector of Central Excise.

Statement of services for which the Certificate is awarded:

On 10th January 1965, Shri De Cruz along with his Patrol Preventive Party went in a catamaran on sea patrol from Nagapattinam. At about 5.30 A.M., he noticed a Jaffnite catamaran with contraband moving in the direction of the shore of Vizhundamavadi Village, about 10 miles from Nagapattinam. He approached the craft and challenged it to stop for Customs verification, but the Jaffnite craft took a turn and started speeding away to the high seas. As the signals given by Shri De Cruz proved futile, he opened fire to stop the Jaffnite vessel. The craft again turned round this time towards the shore, and ultimately landed on the shore. The crew made good their escape, abandoning the catamaran on the shore. The catamaran, fitted with two outboard motors and containing 29 bags of betelnuts

valued at about Rs. 20,550/- was then seized by Shri De Cruz and his party. In effecting this seizure, Shri De Cruz exposed himself to grave risk to his life, thereby displaying commendable courage and great devotion to duty.

2. The award is made under clause (a)(i) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad. III-B dated the 5th November, 1962, and consequently carries with it the monetary allowance admissible under clause (b) *ibid* @ Rs. 25/- p.m. for a period of five years from the 10th January, 1965 to 9th January, 1970.

No. 31/5/65-Ad. III-B.—The President is pleased, on the occasion of Independence Day, 1965, to award an Appreciation Certificate to the undermentioned officer of the Customs Department, Bombay, for exceptionally meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of his life:—

Name of the officer and rank:

Shri Patrick Edmond Somers, Chief Inspector.

Statement of services for which the Certificate is awarded:

On 20th July, 1963, Shri Somers led a Customs party disguised as fishermen and proceeded to sea in a mechanised fishing launch to chase s.s. ISLAMI which was approaching the port from Jeddah. The party had hardly left the shore when they encountered stormy weather and heavy seas, but they did not stop despite cautionary storm signal shown to them. On the voyage, the party was exposed to grave risk of capsizing, but they proceeded with their mission. At day break, s.s. ISLAMI was sighted and despite rough weather, the fishing launch was brought close to the ship. The party hoodwinked the ship's crew into believing that they had come to take delivery of the contraband. The crew thereupon threw overboard a gunny bag containing wrist watches worth about Rs. 2 lakhs, which the Customs Party then retrieved from the sea at the risk of the fishing boat capsizing in the high seas.

Again in the night of 30th December, 1963, on receipt of information that a vessel containing contraband would be arriving from Dubai, Shri Somers with a Customs Party went to conduct patrol of the suspect area, but the vehicle was not sighted on that day. He again proceeded to the suspect area on 31st December, 1963, although he was informed that the vessel would be fully armed. At about 10-00 P.M., the suspect vessel was sighted, but it sped away towards sea. After a chase of a few miles, Shri Somers fired two rounds in the air. The suspect vessel stopped, but it was difficult to go alongside her for boarding due to heavy seas. In order to effect the seizure, Shri Somers jumped across and in this attempt, he almost fell into the sea. The vessel was then brought to calm waters where the Customs party boarded her and recovered contraband valued at about Rs. 5 lakhs.

In effecting the above seizures, Shri Somers exposed himself to grave risk to his life, thereby displaying commendable courage and great devotion to duty.

2. The award is made under clause (a)(i) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad. III-B, dated the 5th November, 1962.

Shri Somers is not eligible for any monetary allowance under clause (b) of the scheme, on account of his rank.

No. 31/5/65-Ad. III-B.—The President is pleased, on the occasion of Independence Day, 1965, to award an Appreciation Certificate to the undermentioned officer of the Collectorate of Central Excise, Bombay, for exceptionally meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of his life:—

Name of the officer and rank:

Shri B. K. Randive, Deputy Superintendent of Central Excise.

Statement of services for which the Certificate is awarded:

On 16th November, 1963, a preventive party headed by Shri Randive was keeping a watch on the sea shore off Cadell Road, Mahim, Bombay. At 4-30 A.M., they sighted some suspected persons. Shri Randive rounded them up for a close search. They were found to be smugglers and one of them charged Shri Randive

with a big knife. He was, however, fortunately disarmed and Shri Randive ultimately succeeded in seizing 5000 tolas of foreign marked gold from the gang.

2. The award is made under clause (a)(i) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraoridnary Notification No. 12/139/59-Ad.III-B, dated the 5th November, 1962.

Shri Randive is not eligible for any monetary allowance under clause (b) of the scheme on account of his rank.

No. 31/5/65-Ad.III-B.—The President is pleased, on the occasion of Independence Day, 1965, to award an Appreciation Certificate for specially distinguished record of service to:—

Shri S. B. Patil, Principal Appraiser, Custom House, Bombay.

2. This award is made under clause (a) (ii) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad.III-B, dated the 5th November, 1962.

No. 31/5/65-Ad.III-B.—The President is pleased, on the occasion of Independence Day, 1965, to award an Appreciation Certificate for specially distinguished record of service to:—

Shri D. G. Mugve, Principal Appraiser, Directorate of Revenue Intelligence, New Delhi.

2. This award is made under clause (a)(ii) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad.III-B, dated the 5th November. 1962.

No. 31/5/65-Ad.III-B.—The President is pleased, on the occasion of Independence Day, 1965, to award an Appreciation Certificate for specially distinguished record of service to:—

Shri R. L. Khanna, Deputy Superintendent of Central Excise, Directorate of Revenue Intelligence, New Delhi.

2. This award is made under clause (a)(ii) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of Customs, Central Excise and Land Customs Departments, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad.III-B, dated the 5th November, 1962.

B. N. BANERJEE, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 15 अगस्त 1965

सं० 31/5/65—एडी—III बी.—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 1965 के अवसर पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय, मद्रास के निम्नलिखित अधिकारी को अपने जीवन को भी संकट में डालने वाला कार्य करते समय की गई असाधारण प्रशस्त सेवा के लिये सहर्ष प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम व पद

श्री डब्ल्यू० जोसेफ० एन्थनी दि क्रूज,

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निरीक्षक,

जिन सेवाओं के लिए प्रमाण-पत्र दिया गया है उनका विवरण

10—1—65 को अपनी गश्ती निरोधक दल के साथ श्री दि क्रूज नागापत्तीनम् से एक लकड़ नाव पर समुद्र की गश्त लगाने निकले । प्रातः लगभग 5.30 बजे उन्होंने अवैध वस्तुओं सहित एक

जाफरी लक्कड़ नाव को देखा जो नागापत्तीनम् से लगभग 10 मील दूर बिमुन्दामावदी गांव के तट की ओर बढ़ रही थी । वे नाव तक पहुंचे और उसे सीमा-शुल्क सम्बन्धी जांच के लिए रुकने को ललकारा, परन्तु जाफरी नाव ने एक मोड़ लिया और खुले समुद्र की ओर तेजी से भागना शुरू किया । चूंकि श्री दि क्रूज द्वारा दिये गये संकेत व्यर्थ सिद्ध हो गये थे, उन्होंने जाफरी नाव को रोकने के लिये गोली चलाई । नाव फिर मुड़ी, इस बार समुद्रतट की ओर और अन्ततोगत्वा तट पर आ लगी । नाव चलाने वाले नाव को समुद्र तट पर छोड़ कर भाग निकले । तब श्री दी क्रूज तथा उन के दल ने नाव को, जिसके बाहर की ओर दो मोटर लगे हुये थे तथा जिस में लगभग 20,550/- रु० कीमत की सुपारियों के 29 थैले थे, जब्त कर लिया । इस अभिग्रहण को सफल बनाने में श्री दि० क्रूज ने अपने जीवन को गंभीर संकट में डाला और इस प्रकार प्रशंसनीय साहस और महान कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पुरस्कार सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्थल सीमा शुल्क विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने की योजना की कण्डिका 1 के खण्ड (क) (i) के अन्तर्गत दिया जाता है जो भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I खण्ड 1 में अधिसूचना संख्या 12/139/59—एडी-3 बी, दिनांक 5 नवम्बर, 1962 में प्रकाशित हुई थी, और फलतः इसी योजना के खण्ड (ख) के अन्तर्गत 10 जनवरी, 1965 से 9 जनवरी 1970 तक पांच वर्ष की अवधि के लिये 25/- रु० प्रति माह की दर से देय आर्थिक भत्ता इस में शामिल है ।

सं० 31/5/65—एडी-III बी.—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 1965 के अवसर पर सीमा शुल्क विभाग बम्बई के निम्नलिखित अधिकारी को अपने जीवन को भी संकट में डालने वाला कार्य करते समय की गयी असाधारण बहादुरी तथा के लिए सहर्ष प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री पैट्रिक एडमण्ड सैमार्स,

मुख्य निरीक्षक,

जिन सेवाओं के लिए प्रमाण-पत्र दिया गया है उनका विवरण

श्री सामर्स ने 20 जुलाई 1963 को मछुओं के भेस में छिपे सीमा शुल्क के एक दल का नेतृत्व किया और वे 'एस० एस० इस्लामी' का पीछा करने के लिये, जो जद्दा से बन्दरगाह पर पहुंच रहा था, मछली पकड़ने वाले एक मशीनी लांच में समुद्र की ओर आगे बढ़े । यह दल तट से आगे बढ़ा ही था कि उसे तूफानी मौसम और प्रचण्ड समुद्र का सामना करना पड़ा; लेकिन तूफान सम्बन्धी सावधानी का संकेत दिखाये जाने पर भी वे रुके नहीं । समुद्र पर जाते समय उनकी लांच के उलट जाने का गंभीर खतरा था ; लेकिन वे अपने उद्देश्य को लेकर चलते गये । दिन निकलने पर "एस० एस० इस्लामी' दिखायी दिया और उग्र मौसम होते हुए भी मछली पकड़ने वाले लांच को जहाज के निकट लाया गया । दल ने जहाज के चालकों को धोखा देकर यह विश्वास दिला दिया कि वे अवैध वस्तुओं को लेने के लिये आये हैं । फलस्वरूप, चालकों ने जहाज से एक बोरा फेंक दिया जिस में लगभग 2 लाख रुपये की कलाई-घड़ियां थीं और तब सीमा शुल्क दल ने खुले समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौका के पलटजाने का जोखिम उठाकर भी उस बोरे को समुद्र से ढूंढ निकाला ।

फिर 30 दिसम्बर 1963 की रात में यह सूचना मिलने पर कि अवैध माल लेकर एक जहाज दुबई से आयेगा, श्री सैमर्स सीमा शुल्क के एक दल के साथ संदिग्ध क्षेत्र की गश्त लगाने के लिये गये । लेकिन उस दिन जहाज दिखायी नहीं पड़ा । 31 दिसम्बर 1963 को वे फिर

संदिग्ध क्षेत्र की ओर बढ़े, यद्यपि उनको सूचित कर दिया गया था कि जहाज पूर्णतः शस्त्र सज्जित होगा। रात्रि के लगभग 10 बजे संदिग्ध जहाज दिखायी दिया ; लेकिन वह फिर समुद्र की ओर तेजी से चल पड़ा । कुछ मीलों तक पीछा करने के पश्चात् श्री सॉमर्स ने हवा में दो बार गोली चलाई । संदिग्ध जहाज रुक गया; लेकिन प्रचण्ड समुद्र के कारण जहाज में चढ़ने के लिए उसके निकट जाना कठिन था। अभिग्रहण के लिए श्री सॉमर्स ने जहाज में जाने के लिए छलांग लगायी और इस प्रयत्न में वे प्रायः समुद्र में गिर पड़े। तब जहाज को शांत जल में लाया गया जहां सीमा शुल्क दल उस में चढ़ गया और 5 लाख रुपये के मूल्य का अवैध सामान उस में से बरामद किया ।

उपर्युक्त अभिग्रहणों को पूरा करने में श्री सामर्स ने अपने जीवन को गम्भीर संकट में डाला और इस प्रकार प्रशंसनीय साहस और महान कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पुरस्कार सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्थल सीमा-शुल्क विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने की योजना की कण्डिका 1 के खण्ड (क) (i) के अन्तर्गत दिया जाता है जो भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I खण्ड 1 में अधि-सूचना संख्या 12/.39/59 एडी–III बी, दिनांक 5 नवम्बर, 1962 में प्रकाशित हुई थी ।

श्री सॉमर्स अपने पद के कारण योजना के खण्ड (ख) के अन्तर्गत कोई आर्थिक भत्ता पाने के पात्र नहीं हैं ।

सं० 31/5/65-एडी-III बी—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 1965 के अवसर पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समाहर्ता-कार्यालय बम्बई के निम्नलिखित अधिकारी को अपने जीवन को भी संकट में डालने वाला कार्य करते समय की गई असाधारण प्रशस्त सेवा के लिये सहर्ष प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम व पद

श्री बी० के० रणदिवे
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के उप अधीक्षक

जिन सेवाओं के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया है उनका विवरण

16–11–1963 को श्री रणदिवे के नेतृत्व में एक निरोधक दल केडल रोड, माहिम, बम्बई के परे समुद्र तट पर पहरा दे रहा था । प्रातः 4.30 बजे उन्होंने कुछ संदेहजनक व्यक्तियों को देखा। श्री रणदिवे ने निकट से तलाशी लेने के लिये उन्हें घेरा तो पता लगा कि वे तस्कर थे और उन में से एक ने श्री रणदिवे पर एक बड़े छुरे से वार किया, परन्तु सौभाग्यवश उसे शस्त्र-हीन कर दिया गया और अन्ततोगत्वा श्री रणदिवे उस गिरोह से 5000 तोला विदेशी मार्का सोना पकड़ने में सफल हुये।

2. यह पुरस्कार सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा स्थल सीमा-शुल्क विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने की योजना की कण्डिका 1 के खण्ड (क) (i) के अन्तर्गत दिया जाता है जो भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I खण्ड 1 में अधि-सूचना संख्या 12/139/59–एडी–III बी, दिनांक 5 नवम्बर, 1962 में प्रकाशित हुई थी ।

श्री रणदिवे अपने पद के कारण योजना के खण्ड (ख) के अन्तर्गत कोई आर्थिक भत्ता पाने के पात्र नहीं हैं ।

सं० 31/5/65-एडी-III बी—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 1965 के अवसर पर, निम्नलिखित अधिकारी को विशेष रूप से विशिष्ट सेवा-वृत्त के लिए सहर्ष प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

श्री एस० बील पाटिल,

प्रधान मूल्यांकक,

सीमाशुल्क गृह,

बम्बई, ।

2. यह पुरस्कार सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्वत्व सीमा-शुल्क विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार देने की योजना की कण्डिका 1 के खण्ड (क) (ii) के अन्तर्गत दिया जाता है जो भारत के राज-पत्र असाधारण के भाग I खण्ड 1 में अधिसूचना संख्या 12/139/59-एडी-III बी दिनांक 5 नवम्बर, 1962 में प्रकाशित हुई थी ।

सं० 31/5/65 एडी-III बी. —राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 1965 के अवसर पर, निम्नलिखित अधिकारी को विशेष रूप से विशिष्ट सेवा-वृत्त के लिए सहर्ष प्रशंसा-प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

श्री डी० जी० मुगवे

प्रधान मूल्यांकक,

राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय,

नई दिल्ली ।

2. यह पुरस्कार सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा स्वत्व सीमा-शुल्क विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने की योजना की कण्डिका 1 के खण्ड (क)(ii) के अन्तर्गत दिया जाता है जो भारत के राज-पत्र असाधारण के भाग I खण्ड 1 में अधिसूचना सं० 12/139/59 एडी-III बी दिनांक 5 नवम्बर, 1962 में प्रकाशित हुई थी ।

सं० 31/5/65-एडी-III बी.—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 1965 के अवसर पर, निम्नलिखित अधिकारी को विशेष रूप से विशिष्ट सेवा-वृत्त के लिये सहर्ष प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

श्री आर० एस० खन्ना,

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के उपअधीक्षक

गुप्तचर्या निदेशालय,

नई दिल्ली ।

यह पुरस्कार सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा स्थल सीमा-शुल्क विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने की योजना की कण्डिका 1 के खण्ड (क) (ii) के अन्तर्गत दिया जाता है जो भारत के राज-पत्र असाधारण के भाग I खण्ड 1 में अधिसूचना संख्या 12/139/59-एडी-IIIबी, दिनांक 5 नवम्बर, 1962 में प्रकाशित हुई थी ।

बी० एन० बनर्जी,

अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965